

## Form No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अवाला न्यायालय सहायक कलेक्टर कपासन

मुकदमा राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाकियाकलां

गंगीलाल

बनाम

गोकल

किरमा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
धारा 128 एल0आर0एक्ट0

नं0 28

सन 2023

तारीख  
हुम

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम की इस  
हुम की तारीख  
में जारी हुए

13.06.2023

तकील प्रार्थीगण ने आज दिनांक को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 में राजीव गाँधी सेवा केन्द्र बनाकियाकलां में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर बहस एक तरफ बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें तकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा बनाकियाकलां पटवार हल्का बनाकियाकलां तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 319 के हाल आराजी संख्या 2445 रकबा 0.25 हैक्ट0, 2460 रकबा 0.50 हैक्ट0, 2463 रकबा 0.03 हैक्ट0, 2494 रकबा 0.22 हैक्ट0, 2496 रकबा 0.09 हैक्ट0, 2498 रकबा 0.01 हैक्ट0, 2499 रकबा 0.16 हैक्ट0, 2500 रकबा 0.13 हैक्ट0, कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमावन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जायें।

हुमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हुमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जायें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा बनाकियाकलां पटवार हल्का बनाकियाकलां तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 319 के हाल आराजी संख्या 2445 रकबा 0.25 हैक्ट0, 2460 रकबा 0.50 हैक्ट0, 2463 रकबा 0.03 हैक्ट0, 2494 रकबा 0.22 हैक्ट0, 2496 रकबा 0.09 हैक्ट0, 2498 रकबा 0.01 हैक्ट0, 2499 रकबा 0.16 हैक्ट0, 2500 रकबा 0.13 हैक्ट0, कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में विना किसी भी प्रकार से हरतक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो वन्दोवस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नरी नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अर्चना युगलिया)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, कपासन

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official